दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिनांक 18.01.2022 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री मनीष कुमार गुप्ता

सदस्य

1. श्री विजय कुमार सिंह
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
2. श्री डी.सी. गोयल
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
3. श्रीमती अर्चना अग्रवाल
   सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
4. श्री विजेंद्र गुप्ता, विधायक
5. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
6. श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रिती

1. श्री पी. के. गुप्ता
   अपर मुख्य सचिव (यू.डी), जी.एन.सी.टी.डी.
2. डॉ. राजीव कुमार तिवारी
   प्रधान आयुक्त (कार्मिक, भू-दृश्य, आवास तथा उद्यान), दि.वि.प्रा.

3. डॉ. आशीष चन्द्र वर्मा
   प्रधान सचिव (वित्त)
4. श्री ज्ञानेश भारती
   आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
5. श्री संजय गोयल
   आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>उपराज्यपाल सचिवालय</u>

1. श्रीमती अंकिता मिश्रा बुंदेला
   उप-राज्यपाल की सचिव
2. श्रीमती साक्षी मित्तल
   उप-राज्यपाल की विशेष सचिव

माननीय उप-राज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रिती तथा प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद सं. 01/2022</u>

दिनांक 24.11.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(10)2021/एमसी/डीडीए

24.11.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>मद सं. 02/2022</u>

दिनांक 24.11.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ2(10)/2021/एमसी/डीडीए/पार्ट.

दिनांक 24.11.2021 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ नोट किया गया।

<u>श्री विजेंद्र गुप्ता</u>

I. प्रस्तावित मास्टर प्लान में, मार्गों की सीध में आने वाली कॉलोनियों के निवासियों द्वारा पीएम-उदय योजना के अंतर्गतझेली जा रही समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए गठित समिति को अपनी रिपोर्ट समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करनी चाहिए।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

I. अनेक निर्वाचन क्षेत्रों जैसे कि आया नगर तथा देवली में सघन आबादी वाले क्षेत्रों के साथ मास्टर प्लान रोड प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों के निवासियों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
II. अनेक व्यक्ति इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वे दि.वि.प्रा. को सौंपी गई ग्राम सभा की भूमि का अतिक्रमण करके अप्राधिकृत रूप से पीएम-उदय योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा लें।
III. दि.वि.प्रा. से अनुरोध है कि वह सुझाए कि जंगपुरा स्थित दिल्ली जल बोर्ड की भूमि को कैसे सीनियर सैकेण्डरी/सैकेण्डरी स्कूल के लिए आबंटित किया जा सकता है।
IV. दि.वि.प्रा. यह प्रयास करे कि हौजखास गांव के खसरा नं. 277 से संबंधित स्थगन आदेश को खारिज कराए और इस सम्पत्ति को सील कर दे।
V. विकासपुरी में अतिक्रमण से छुड़ाई गई 25 एकड़ जमीन पर अवसंरचना के विकास की स्थिति के बारे में सूचित किया जाए और इस भूमि को विकासपुरी में अस्पताल के लिए आबंटित करने पर विचार किया जाए।
VI. अतिक्रमण से छुड़ा ली गई गौतम नगर की साइटको सामुदायिक सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जाए।
VII. दि.वि.प्रा. यह पुष्टि करे कि क्या होटलों में कमर्शियल उपयोग के लिए एफ.ए.आर. का 40%अनुमत करने के अपने सुझाव को ड्रॉफ्ट दिल्ली मुख्य योजना-2041 में शामिल कर लिया गया है।

VIII. सी.एस.सी/एल.एस.सी में दुकानों के सामने की खाली पड़ी खुली जगहों को समुचित प्रभारों का भुगतान करने पर वैधानिक रूप से उपयोग करने दिया जाए।

IX. बेगमपुर स्थित विजय मण्डल पार्क में भूमि पर फिर से अतिक्रमण किया जा रहा है।

X. श्री सुबु आर., पूर्व आयुक्त, भूमि निपटान तथा श्री रंजन मुखर्जी, उप-राज्यपाल के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी पर लाइसेंस शुल्क की क्षति दरें प्रभारित नहीं की जानी चाहिए।

श्री विजेंद्र गुप्ता ने भी इन मामलों की सिफारिश की है।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

I. पीएम-उदय योजना के नियमों को संशोधित किए जाने की जरूरत है ताकि यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी भूमि का अनधिकृत कब्जा है,तो वह इस योजना के अंतर्गत बिना किसी अपेक्षित दस्तावेजों के स्वयं को पंजीकृत करवा सके।

II. कालातीत पट्टों के नवीनीकरण के लिए परिवर्तन दरों को समयबद्ध तरीके से संशोधित किया जाए।

III. विश्वासनगर स्थित 60 फुट के मार्गाधिकार के बारे में स्टे ऑर्डर को हटाने के लिए प्राथमिकता आधार पर प्रयास किए जाने चाहिए।

IV. शांतिस्वरूप भटनागर मार्ग के मार्गाधिकार पर अतिक्रमणकर्ताओं के पुनर्वास संबंधी मामले को शीघ्र सुलझाया जाए।

V. उनके क्षेत्र में दो सामुदायिक हाल निर्मित किए गए हैं, का प्राथमिकता के आधार पर उद्घाटन किया जाए।

VI. संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

VII. इस क्षेत्र से सटे कूड़े के ढेर के कारण अस्वस्थकारी पर्यावरण को देखते हुएगाजीपुर के पेपर मार्केट के आबंटियों को दूसरी कमर्शियल कार्याकलापों को करने की अनुमति दी जाए। अतः उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. कृपया इस साइट का दौरा करने का कार्यक्रम बनाए।

<u>मद सं. 03/2022</u>

माननीय सांसदों (लोकसभा) के लिए बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए जोन-डी, के जोनल विकास प्लान में पुनर्विकास क्षेत्र के अंतर्गत बाबा खड़क सिंह मार्ग तथा पंडित पंत मार्ग, समीप जी.पी.ओ. (4.15 हेक्टेयर माप क्षेत्र) से सटे बहुमंजिल फ्लैटों का समावेशन करना।

एफ.16(01)/2021/एमपी

एजेण्डा में दिए गए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। यह मामला आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन और अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए अग्रेषित किया जाए।

<u>मद सं. 04/2022</u>

डी.एम.आर.सी. प्रोजेक्ट फेज-III के लिए जोन- 'ओ'में आने वाले कशमीरी गेट में आर.एस.एस./ ई.एस.एस. के निर्माण हेतु 10236.69 वर्ग मी. क्षेत्रफल भूमि उपयोग का 'मनोरंजनात्मक' से 'उपयोगिता' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ. 21(5)2013/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। डी.डी. अधिनियम, 1957 की धारा 11 - क के अंतर्गत आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

<u>मद सं. 05/2022</u>

दि.वि.प्रा. द्वारा सरकार/स्थानीय निकायों को आबंटित संस्थागत भूमि/प्लॉटों के संबंध में दो वित्तीय वर्षों 2020-22 की ब्लॉक अवधि हेतु भूमि की प्राशुल्क दरें।

एफ.1(मिस.) 2016/आई.एल.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास उनके अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

<u>मद सं. 06/2022</u>

अभियंता सदस्य, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन- डी.डी.अधिनियम, 1957 की धारा 56 के अंतर्गत सुझाव।

एफ. 7(34)2018/पी.बी.-I/पार्ट

एजेंडा मद के पैरा-2(i),(ii) और (iii) में शामिल प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया था कि उप-पैरा (iii) (क) में उल्लिखित 'प्रतिनियुक्ति' के प्रावधान को 'मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय अथवा संस्थान प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री' पढ़ा जाए।

<u>मद सं. 07/2022</u>

दि.वि.प्रा. बजट एवं लेखा नियमावली, 1982 के नियम 17 के अंतर्गत प्राधिकरण को सूचना

एफ.32(06)2020/II

एजेंडा मद से शामिल जानकारी पर टिप्पणी की गई।

<u>मद सं. 08/2022</u>

निम्नलिखित के संबंध में वर्तमान दरों की व्यावहारिकता हेतु समय अवधि में दिनांक 30.06.22 तक विस्तार :

i) **एम.पी.डी. -2021 से उत्पन्न आवासीय संपत्तियों, सहकारी समूह आवास, मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक स्ट्रीट और व्यावसायिक संपत्तियों (होटल तथा पार्किंग प्लाट को छोड़कर) के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर.; और**
ii) **परिसरों और शॉप एवं निवास प्लॉटों/परिसरों जिन्हें बाद में एल.एस.सी. के रूप में निर्दिष्ट किया गया था के मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग परिवर्तन।**

एफ.2(14)2020-21/ए.ओ.(पी.) /डी.डी.ए.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मामले को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाए।

<u>मद सं. 09/2022</u>

वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान

एफ.4(3)91/बजट/आर.बी.ई. /2021-22

1. वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों पर विचार किया गया।
2. उचित विचार-विमर्श के पश्चात्, वर्ष 2021-22 के संशोधित बजट अनुमान और वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान को अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं.10/2022</u>

ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट सैक्टर ए-1 से ए-4, नरेला और सैक्टर-जी-7/जी-8, नरेला में 960 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों की निर्माण लागत में क्रमशः 40% और 10% की घूट के संबंध में एजेंडा मद सं. 57/2019 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय की अनुप्रयोज्यता।

एफ.1/0224/2021/कॉर्डि./हाउसिंग (कॉर्डि.) पार्ट-I

एजेंडा मद में शामिल जानकारी पर टिप्पणी की गई।

<u>मद सं.11/2022</u>

दिल्ली मैट्रो परियोजना, लाइन-07, फेज- IIIके मजलिस पार्क (मुकुंदपुर) - शिव विहार कॉरिडोर (पिंक लाइन) के लिए जोन 'ओ' में आने वाले सराय काले खाँ स्थित मिलेनियम पार्क के सामने 3030 वर्ग मीटर भूमि पर रैंप के निर्माण के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अध्याय 17 के खण्ड 8(2) के अंतर्गत विशेष अनुमति।

एफ.21(4)2013/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

<u>प्राधिकरण के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए 'अन्य मुद्दे'</u>

<u>श्री विजेन्द्र गुप्ता</u>

i). राजस्व साझा-आधार पर व्यावसायिक घटक के साथ मल्टी-लेवल पार्किंग के लिए भूमि आबंटन हेतु नीति तैयार की जाए।

ii). रोहिणी आवासीय स्कीम के आबंटितियों को कब्जा दे दिया गया है। दि.वि.प्रा., अब, कॉम्पोजिशन शुल्क की मांग कर रहा है हालांकि आधारभूत सेवाएँ जैसे सीवरेज, विद्युत और जलापूर्ति अभी तक तैयार नहीं की है।

<u>श्री सोमनाथ भारती</u>

i).नगर निगम ने स्कूलों के लिए आबंटित भूमि को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। इस भूमि को स्कूल निर्माण करने के लिए दिल्ली सरकार को सौंपा जाना चाहिए।

ii). साहीपुर गाँव, शालीमार बाग स्थित तालाब को मनोरंजनात्मक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

iii). लगभग 180 नगर निगम वार्डों में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक विकास नहीं हुआ है। दिल्ली में सभी नगर निगम वार्डों में व्यावसायिक विकास होना आवश्यक है। दि.मु.यो-2041 में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

iv).दि.वि.प्रा. गोविंद पुरी मेट्रो स्टेशन स्थित माँ आनंदमयी मार्ग से हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन तक के पुल के नीचे सड़क निर्माण हेतु भूमि पी.डब्ल्यू.डी. को देने पर विचार करे।

v).हरकेश नगर में बारात घर तैयार किया जाएगा।

vi). विराट पार्क में उत्सव स्थल के निर्माण कार्य को रोक दिया जाए और भूमि को अंबेडकर नगर अस्पताल को सौंपा जाए।

vii). गुलमोहर पार्क में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मनोरंजन केन्द्र विकसित किया जाए।

viii). अर्जुन नगर स्थित 2.84 एकड़ भूमि के विकास के लंबे समय से लंबित मामले का समाधान किया जाए।

<u>श्री ओ.पी.शर्मा</u>

i).आर्य नगर गाँव तक उचित अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए टी.ओ.डी. कड़कड़डूमा परियोजना के लिए ट्रैफिक इम्पैक्ट निर्धारण को प्राथमिकता से संचालित किया गया।

ii).दि.वि.प्रा. को अपने फ्लैट जनता को सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

माननीय उपराज्यपाल ने यह निदेश दिया कि लैंड पूलिंग से संबंधित मामलों पर विस्तृत विचार-विमर्श हेतु एक पृथक बैठक आयोजित की जाए।

माननीय उपराज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

.....